International Journal of Arts & Education Research

बाल श्रमिकों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति एवं शिक्षा के प्रति रूचि का एक अध्ययन

मीनाक्षी*[1]

[1]**शोध छात्र, साईनाथ विश्वविद्यालय, रांची, झारखण्ड।**

सारांश

बाल श्रम प्रतिषेद्य (निषेध) एवं विनियमन कानून, 1986 के अनुसार बाल श्रम का अर्थ हर उस काम से है, जो 14 वर्ष व उससे कम उम्र के बच्चे से उसकी इच्छा से या इच्छा के विरूद्ध कराया जाता है। श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 से 14 आयु वर्ग का हर चौथा बच्चा बाल श्रमिक है। किसी भी देश का सुनहरा भविष्य, देश की प्रगति व विकास उस देश के बच्चों पर ही निर्भर करता है। अतः जब तक बाल श्रम की इस सामाजिक समस्या को जड़ से समापत नहीं किया जायेगा तब तक देश की प्रगति व विकास संभव नहीं है। प्रस्तुत लेख में भारत में बाल श्रम की स्थिति, बाल श्रम के लिए उत्तरदायी कारणों - गरीबी व निरक्षरता, शिक्षा का रोजगारपरक ना होना, सस्ती दरों पर उपलब्धता इत्यादि बाल श्रम को रोकने के लिए किये गये प्रयासों - भारतीय संविधान में वर्णित बाल श्रम से संबंधित अनुच्छेदों, इंडस परियोजना, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, शैक्षिक प्रयासों, इत्यादि पर प्रकाश डाला गया है तथा मुख्य रूप से उन शैक्षिक सुझावों, प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, बाल श्रमिकों के लिए छात्रावृत्तियां, श्रमिक स्कूलों की अवधि बढाकर 5 साल करना, बाल श्रमिकों के लिये आवासीय शिविरों का आयोजन, आवासीय विद्यालय व आश्रमों की स्थापना करना इत्यादि को प्रस्तुत किया गया है, जो बाल श्रम की समस्या को समाप्त करने व बाल श्रमिकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

प्रस्तावना

बचपन इंसान की जिंदगी का सबसे हसीन पल है। न किसी बात की चिंता और न ही कोई जिम्मेदारी। बस हर समय अपनी मस्तियों में खोए रहना, खेलना-कूदना और पढ़ना। लेकिन सभी का बचपन ऐसा हो यह जरूरी नहीं।

बाल मजदूरी की समस्या से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो और वह जीविका के लिये काम करे बाल मजदूर कहलाता है। गरीबी, लाचारी, और माता पिता की प्रताड़ना के चलते ये बच्चे बाल मजदूरी के दलदल में धंसते चले जाते हैं।

आज दुनिया भर में 215 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है और इन बच्चों का समय स्कूल में कापी किताबों और दोस्तों के बीच नहीं बल्कि होटलों, घरों, उद्योगों में बर्तन, झाड़ू पौछे और औजारों के बीच बीतता है।

भारत में यह स्थिति बहुत ही भयावह हो चली है। दुनिया में सबसे ज्यादा बाल मजदूर भारत में ही है। बड़े शहरों के साथ-साथ आपको छोटे शहरों में भी हर गली नुक्कड़ पर कई राजू, मुन्नी, छोटू, चवन्नी मिल जाएंगे। जो हालातों के चलते बाल मजदूरी की गिरफ्त में आ चुके हैं और यह बात सिर्फ बाल मजदूरी तक ही सीमित नहीं है इसके साथ ही बच्चों को कई घिनौने कुकृत्यों का भी सामना करना पड़ता है जिनका बच्चों के मासूम मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।

बाल श्रम

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रदत्त परिभाषा के अनुसार- ''बाल मजदूरी बच्चों की अल्प आयु में ही कम मजदूरी के ऐवज में वयस्कों के समान घंटों में व्यस्त कर देती है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर तथा मानसिक विकास पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है।''

भारत में मजदूरी अधिनियम 1986 के अनुसार बाल श्रम की परिभाषा है - ''वह श्रम जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया जाता है।''

सम्पूर्ण विश्व एक बच्चे की आयु (आवश्यक आयु) 15 वर्ष मानी गयी है। अतः 15 वर्ष से कम आयु के बालक उद्योगों एवं कारखानों आदि में कार्य करते हैं ''बाल श्रमिक'' कहलाते हैं।

सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति

सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति किसी भी व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि की ओर संकेत करता है। इसमें परिवार के सदस्यों का रहन-सहन, स्थान, व्यवसाय, आय, शिक्षा तथा उनका शैक्षिक स्तर निहित होता है। संक्षेप में यह किसी विशेष समाज में व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, एवं शैक्षिक स्थिति की तस्वीर प्रस्तुत करता है।

शैक्षिक रूचि

शैक्षिक रूचि शब्द बालक के उन मनोभावों को प्रकट करता है जिनके आधार पर वह विद्यालय जाने को तैयार होता है। शैक्षिक रूचि व्यक्ति के शैक्षिक स्तजर को बढ़ाने या घटाने में प्रमुख भूमिका अदा करती है। इसलिये शोधकत्राी ने शैक्षिक स्थिति के साथ ही साथ बाल श्रमिकों की शैक्षिक रूचियों को भी जानने का प्रयास किया है।

बाल श्रम को रोकने के उपाय

कई एन.जी.ओ. समाज में फैली इस कुरीति को पूरी तरह नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इन एन.जी. ओ. के अनुसार 50.2 प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जो सप्ताह के सातों दिन काम करते हैं। 52.22 प्रतिशत यौन प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। इनमें से हर दूसरे बच्चे को किसी न किसी तरह भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। 50 प्रतिशत बच्चे शारीरिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं।

बाल मजदूर की इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने 1986 में **'चाइल्ड लेबर एक्ट'** बनाया जिसके तहत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया तथा रोजगार पाने की न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी। इसी के साथ

Copyright © 2012 Published by IJAER. All rights reserved.

सरकार '**नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट**' के रूप में बाल मजदूरी को खत्म करने के लिये कदम बढ़ा चुकी है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बच्चों को इस संकट से बचाना है। जनवरी 2005 में 'नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम' को 21 विभिन्न भारतीय प्रदेशों के 250 जिलों तक बढ़ाया गया।

आज सरकार ने आठवीं तक की शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया है, लेकिन लोगों की गरीबी और बेबसी के आगे यह योजना भी निष्फल साबित होती दिखाई दे रही है। बच्चों के माता पिता सिर्फ इस वजह से उन्हें स्कूल नहीं भेजते क्योंकि उनके स्कूल जाने से परिवार की आमदनी कम हो जाएगी।

माना जा रहा है कि आज 60 मिलियन बच्चे बाल मजदूरी के शिकार हैं, अगर ये आंकड़े सच हैं तब सरकार को अपनी आंखें खोलनी होंगी। आंकड़ों की यह भयावहता हमारे भविष्य का कलंक बन सकती है।

"जिस दिन भी ये नन्हे तारे,
नभ में मिलकर चमके सारे,
सारे तक को हर लेंगे,
जग को आलोकित कर देंगे।
देने होंगे इनको संस्कार,
यही हमारा है उपहार,
दौलत ये स्वयं कमा लेंगे।"

कभी राष्ट्र की भावी स्थिति का अनुमान वहां के बच्चों को देखकर लगाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे ही देश के भावी कर्णधार होते हैं। देश की प्रगति एवं विकास बच्चों के विकास पर निर्भर हैं। यदि देश के बच्चों का विकास हो जाये तो देश का सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनैतिक विकास एवं शैक्षिक विकास हो जायेगा। बच्चे का विकास मां के गर्भ से ही प्रारम्भ हो जाता है। जन्म के पश्चात् छः वर्ष बच्चे के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। बाल्यावस्था जीवन की अत्यंत नाजुक अवस्था है। बच्चे कोरे कागज के समान हैं। जिस प्रकार कोरे कागज पर जैसा चाहे लिख सकते हैं। उसी प्रकार बच्चों को भी जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। किसी भी देश के बालकों की अच्छी व बुरी दशा वहां की सांस्कृतिक स्थिति का विश्वस्नीय मापदण्ड होता है। बालक मानव जीवन की नींव है। बच्चों को सामान्यतः ईश्वर का प्रतिरूप माना जाता है, परन्तु इन्हीं बच्चों के कोमल हाथों में कुदाल या फावड़ा, सर पर भारी भरकम बोझ तथा आंखों में निरन्तर बहते आंसुओं को देखकर भी हम प्रायः अनदेखा कर देते हैं।

भारत में बाल मजदूरों की इतनी अधिक संख्या होने का मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ गरीबी है। यहां एक तरफ तो ऐसे बच्चों का समूह है जो बड़े-बड़े महंगे होटलों में 56 भोग का आनन्द उठाता है और दूसरी तरफ ऐसे बच्चों का समूह है जो गरीब है, अनाथ हैं, जिन्हें भर पेट खाना भी नसीब नहीं होता। दूसरों की जूठनों के सहारे वे अपना जीवन यापन करते हैं।

IJAER

Copyright © 2012 Published by IJAER. All rights reserved.

जब यही बच्चे दो वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं तब इन्हें बाल मजदूर का हवाला देकर कोई काम ही नहीं दिया जाता। आखिर में ये बच्चे क्या करें, कहां जाए? ताकि इनकी समस्या का समाधान हो सके। सरकार ने बाल मजदूरी के खिलाफ कानून तो बना दिये। इसे एक अपराध भी घोषित कर दिया लेकिन क्या इन बच्चों की कभी गम्भीरता से सुध ली?

बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने के लिये जरूरी है गरीबी को खत्म करना। इन बच्चों के लिए दो वक्त का खाना मुहैया कराना। इसके लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सिर्फ सरकार ही नहीं आम जनता की भी इसमें सहभागिता जरूरी है। हर एक व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सक्षम हो अगर ऐसे एक बच्चे की भी जिम्मेदारी लेने लगे तो सारा परिदृश्य ही बदल जाएगा।

क्या आपको नहीं लगता कि कोमल बचपन को इस तरह गर्त में जाने से आप रोक सकते हैं? देश के सुरक्षित भविष्य के लिए वक्त आ गया है कि आपको यह जिम्मेदारी अब लेनी होगी। क्या आप लेंगे ऐसे किसी एक मासूम की जिम्मेदारी ?

सन्दर्भ

1. बूरा नीरा : ए रिपोर्ट ऑफ चाइल्ड लेबर्स इन इण्डिया पेपर प्रेजेन्टेड इन सेमीनार, प्रकाशन नई दिल्ली, 1990
2. बूरा नीरा : ओल्ड फूलास इन चाइल्ड लेबर बिल, द टाइम्स आफ इण्डिया, नई दिल्ली, 1986, नवम्बर 7
3. बूरा नीरा : बाल श्रम स्वास्थ्य खतरे, सेमीनार प्रकाशन, नई दिल्ली, 1988
4. राघव, सिंह विजय : भारत में बाल श्रम की समस्या, कारण और निदान, प्रतियोगिता दर्पण, मासिक पत्रिका, नई दिल्ली, अगस्त 1996, पृष्ठ 64-69
5. लाल कुमार संजय : भारत में बाल श्रमिकों का वर्गीकरण सिविल सर्विसेज क्रनिकल, नई दिल्ली, जनवरी 1998, पृष्ठ 35-38
6. शर्मा, उषा : चाइल्ड केयर इन इण्डिया, मित्तल पब्लिकेसंस, नई दिल्ली, 206
7. शर्मा, ए.के. : चाइल्ड लेबर, अनमोल पब्लिकेशंस प्रा0 लि0, नई दिल्ली, 2007
8. श्रीवास्तव, अर्चना : मानवता के नाम पर कलंक, योजना 52(5) : 21-23, 2008
9. भारत सरकार : वार्षिक संदर्भ ग्रंथ, भारत, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्राालय, नई दिल्ली, 2009, 2011
10. सिंह, डा0 उद्यभान (संपादक): भारत 2009 समसामयिकी, श्री बिहारी जी पब्लिकेशन, कानपुर, 2009-10

Copyright © 2012 Published by IJAER. All rights reserved.